न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 240/2017

वादी :–
1–मोतीराम पुत्र भंवराराम जाति मेघवाल
निवासी बेड़ास कलां तहसील डेगाना जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1– जगदीश पुत्र रूपाराम जाति ढोली
निवासी अरनियाला तहसील रियांबड़ी
2– तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हल्का अरनियाला तहसील रियांबड़ी

दावा बाबज खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88 व 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :--20/8/14

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि मौजा खेड़ाकिशनपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 320/46 रकबा 1.5492 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी।

2–यह है कि वादग्रस्त आराजी की भूमि पूर्व में वादीव प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा है।

3–यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा कर लिया है। बंटवाड़ा निम्न प्रकार से है :–

1–वादी मोतीराम के बंट में :–
मौजा खेड़ाकिशनपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 320/46 रकबा 1.5492 हैक्टर में सें रकबा 0.7746 हैक्टर दक्षिणी तरफ का संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार।

2–प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के बंट में :–
मौजा खेड़ाकिशनपुरा की सरहद मे स्थित खेत खसरा नंबर 320/46 रकबा 1.5492 हैक्टर में सें रकबा 0.7746 हैक्टर उतरी तरफ का संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार।

4–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरा का बंटवारा विधिवत करवाने हेतू वाद पेश है।

5–यह है कि उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सहूलियत से अलग अलग है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इसलिए वादी यह खातेदारी का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। कि वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वण्रित बंट के अनुसार भूमि वादी व पतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

6–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

मोतीराम बनाम जगदीश प्रकरण संख्या 240/24

मुतनाजा खसरा का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें तथा उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व बिगौड़ी की रकम अलग की जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। दिनांक 13.08.2024 को वादी मय वकील व प्रतिवादीगण संख्या 1 मय वकील के उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया गया कि मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवदी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहता है। मौके पर अलग अलग काश्त काबिज है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा विधिवत करवाना चाहते है। इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बंटवारा संलग्न परिशिष्ट'क' अनुसार कर दिया जावें। पक्षकारान सहमत है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजुद दस्तावेज जमाबदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी में 1/2–1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसका बंटवारा सहमति से करवाना चाहते है। राजीनामा भी पेश किया जा चूका है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी की घोषणा की जाकर संलग्न परिशिष्ट ' क ' अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस निम्नप्रकार से किया जाता है।

1–वादी मोतीराम के बंट में :–

मौजा खेड़ाकिशनपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 320/46 रकबा 1.5492 हैक्टर में सें रकबा 0.7746 हैक्टर दक्षिणी तरफ का संलग्न परिशिष्ट 'क ' अनुसार।

2–प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के बंट में :–

मौजा खेड़ाकिशनपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 320/46 रकबा 1.5492 हैक्टर में सें रकबा 0.7746 हैक्टर उतरी तरफ का संलग्न परिशिष्ट 'क ' अनुसार।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में परिशिष्ट ' क ' अनुसार किया जाकर अमल दरामद किया जावें व राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर सेपरेट पजेशन कायम कर लगान अलग से कायम करें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)